न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 41/2024
जी.सी.एम.एस. नं.: 2024/215

1. नाथी देवी पत्नी हरीराम जाति नायक निवासी 2 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर
2. शंकरलाल पुत्र हरीराम जाति नायक निवासी 2 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर

—**प्रार्थीगण**

बनाम

1. रोशनी पत्नी हंसराज जाति नायक निवासी रतनपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. सलेन्द्र पुत्री हंसराज जाति नायक निवासी रतनपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. पूजा पुत्री हंसराज जाति नायक निवासी रतनपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.
4. कुन्दन पुत्र हंसराज जाति नायक निवासी रतनपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

—**अप्रार्थीगण**

1. सोमती देवी पुत्री हरीराम पत्नी प्रेमकुमार जाति नायक निवासी फकीरावाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. सलोचना पुत्री हरीराम पत्नी कृष्णलाल जाति नायक निवासी फकीरावाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. मंजू पुत्री हरीराम पत्नी आत्माराम जाति नायक निवासी लोंगवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज.

—**तरतीबी पक्षकार**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—
1. श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री नवीन सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 1 से 4
3. राजपैरोकार

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 26.08.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :—

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जिसमें प्रार्थीगण के सफल होने की पूरी आशा व आधार है। प्रार्थना पत्र को वाद पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर साथ पढ़ा जावे। प्रार्थीगण के पति/पिता हरीराम पुत्र पन्नाराम के नाम से चक 2 जेएसडी तहसील श्रीविजयनगर का मु.नं. 46 प[illegible] कि.नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/[illegible] 5[illegible] 6 ता 9, 10/1, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/1, 22 [illegible] है. भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि मे [illegible] 2066 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074—2077 का ख[illegible] सं. 100 में है। भूमि के खातेदार हरीराम पुत्र पन्नाराम का देहान्त हो चुका है उनके देहान्त उपरांत प्रार्थीगण एंव तरतीबी पक्षकारान व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के पति/पिता स्वर्गीय हंसराज कुल छः विधिक उत्तराधिकारी है एंव उपरोक्त भूमि के खातेदार हरीराम के देहान्त उपरांत उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार उनके विधिक उत्तराधिकारीयों में औद्य हो चुके है। चूँकि तरतीबी पक्षकारान उक्त भूमि से दूर निवास करती है एव उनके विवाह व अन्य समाजिक दायित्वो का निर्वहन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:33:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के द्वारा ही किया गया है इसलिए तरतीबी पक्षकारान के द्वारा अपने उपरोक्त भूमि में हक वा हिस्सा का हक त्याग प्रार्थीगण के पक्ष में स्वेच्छा से किया हुआ है व अप्रार्थीगण उक्त भूमि को छोडकर काफी अर्सा पूर्व से ही उक्त भूमि से दूर पदमपुर तहसील में निवास करते आ रहे है इसलिए उपरोक्त भूमि की हर प्रकार से सार सम्भाल, काश्त, भूमि सुधार आदि के कार्यों को प्रार्थीगण के द्वारा ही किया जा रहा है एंव प्रार्थीगण के द्वारा उक्त भूमि को अपना मानते हुए इसमें अथाह धन व परिश्रम खर्च कर इसे संवारा, सुधारा व कृषि योग्य बनाया है एंव इसमें प्रार्थीगण ने अपनी ढाणि भी बनायी हुई है जिसमें प्रार्थीगण पिछले अर्सा करीब 20 वर्षों से अधिक समय से निवास करते आ रहे है। व भूमि में ट्यूबवैल स्थापित किया हुआ है व अन्य सुविधाए स्थापित की है तथा भूमि सुधार कर कृषि योग्य बनाया है। चूँकि उपरोक्त भूमि को प्रार्थीगण के द्वारा ही काश्त किया जा रहा है व प्रार्थीगण के द्वारा ही इसे अपनी मानते हुए इसमें अथाह धन व परिश्रम खर्च कर इसे संवारा सुधारा व कृषि योग्य वनाया है व तरीतीबी पक्षकारान के द्वारा मौखिक रूप से अपना हक वा हिस्सा का हक त्याग हम प्रार्थीगण के पक्ष में किया हुआ है इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा समय समय पर अप्रार्थीगण से मिलकर उन्हे उपरोक्त भूमि में अपने अपने अधिकारो का त्याग विधिक रूप से करते हुए प्रार्थीगण के नाम से दर्ज करवाने बाबत कहा गया व उक्त भूमि पर हरीराम के द्वारा उक्त भूमि सुधार के लिए प्राप्त किया गया ऋण को अदा करने के लिए अप्रार्थीगण को कहा गया तो अप्रार्थीगण टाल मटौल करते रहे व कहते रहे कि जब कभी गांव में राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो तहसीलदार के समक्ष ब्यान देकर भूमि तुम्हारे नाम से दर्ज करवा देगे कब्जा भूमि आपके पास पहले से है आप ही इसे काश्त कर रहे हो हम तो भूमि से कोसो दूर रहते है हमने न तो कभी इस भूमि को काश्त किया है और न ही कभी करेगे इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है जिस पर प्रार्थीगण ने विश्वास कर लिया एंव समय व्यतित होता रहा किन्तु अर्सा करीब 1 माह पूर्व अप्रार्थीगण जीप में सवार होकर आए और प्रार्थीगण के साथ मारपीट कर घर से जबरन गेहूँ व सरसो उठाकर ले गये जिस पर वादीया ने इस बाबत एक मुकदमा पुलिस थाना जैतसर में दर्ज करवाया तो अप्रार्थीगण ने अपने उपरोक्त कृत्यो के लिए क्षमा याचना कर ली व आयन्दा ऐसा नहीं करने का कहा व प्रकरण का निस्तारण जरीये राजीनामा करवा लिया व इसके उपरांत प्रकरण का निस्तारण जरीये राजीनामा करवा लेने पर जब प्रार्थीगण ने उपरोक्त भूमि जो हरीराम के नाम से दर्ज है को प्रार्थीगण के नाम से दर्ज करवाने बाबत आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा तो प्रारम्भ में तो कुछ रोज में इस बाबत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया किन्तु इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं की जिस पर वादीया ने पंचायत के मौतबीरान व्यक्तियों को साथ लेकर पुनः इस बाबत जोर देकर अप्रार्थीगण को आज से एक सप्ताह पूर्व कहा तो तरतीबी पक्षकारान ने अपनी सहमति दे दी किन्तु अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व ऐलानिया धमकी दी कि शीघ्र ही इस भूमि बाबत कोई फर्जी, कूटरचित दस्तावेज अपने पक्ष में तैयार कर लेगे और भूमि पर जबरन, विधि विरुद्ध, बलपूर्वक काबिज हो जावेगे अथवा फर्जी कागजात के आधार पर उक्त भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाकर आगे अन्य को रहन, विक्रय या अन्य प्रकार से अन्तरित कर गुण्डा प्रवृ[illegible] की मदद से आपको विधि विरूद्ध तरीके से बलपूर्वक जबरन इस भू[illegible] म[illegible]म एंव बेदखल कर देगे बस यही तारीख बिनाए [illegible] खातेदार हरीराम के विधिक उत्तराधिकारी [illegible] का 2/6 हिस्सा भूमि बतौर उत्तराधिकार प्राप्त है एव तरतीबी पक्षक[illegible] सं. 1 ता 3 के द्वारा अपने अपने हक वा हिस्सा का हक त्याग प्रार्थीगण के पक्ष में किया हुआ है इस प्रकार प्रार्थीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में 5/6 हिस्सा के खातेदार टेनेन्ट है। जिस बाबत अनवानी वाद लाने का प्रार्थीगण को विधिक अधिकार प्राप्त है एव उक्त भूमि प्रार्थीगण के विधिक कब्जा में काफी अर्सा से चली आ रही है किन्तु अब अप्रार्थीगण विधि विरुद्ध तरीको से उक्त खातेदारी कब्जा काश्त की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:33:06 IST
Reason: SelfAttested

भूमि से महरूम व बेदखल विधि विरूद्ध करना चाहते है यदि अप्रार्थीगण अपने विधि विरूद्ध कृत्यो में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण के विधिक अधिकारो का हनन होगा एव ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तृतीय पक्षकार के हित सृजित होने से पक्षकारान के मध्य विवाद बढेगा, मुकदमाबाजी बढेगी खर्च बढेगा काश्त में भारी असुविधा होगी जबकि अप्रार्थीगण के खिलाफ वाद पत्र निरतारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति तीनो ही महत्वपूर्ण बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है एव पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर होकर अन्दरमियाद पेश है। अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के अन्तिम निरस्तारण तक इस आशय की पारित की जावे कि वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि चक 2जे.एस.डी तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 46 प.न. 130/354 का कि.न. 1/1. 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1. 5/2, 6 ता 9, 10/1, 11/2, 12 ता 19, 20/2, 21/1, 22 ता 25 का 6.1980 है. भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में 885/2066 हिस्सा या इसके किसी भाग बाबत कोई संव्यवहार किसी फर्जी, कूटरचित दस्तावेज के आधार पर व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए करने से व ऐसे किसी दस्तावेज से रिकार्ड में परिवर्तन करवाने तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार स्वंय या अपने हित अनिधि के माध्यम से मदाखलत पैदा करने, चल रही किसी सुविधा को बाधित या बंद करने से या ऐसा कोई कार्य करने से जिससे भूमि काश्त में परेशानी हो स्वंय या हितबद्ध व्यक्ति के माध्यम से ऐसा करने से बाज एंव ममनू रहे व मौका एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तरतीबी अप्रार्थी सं. 1 से 3 के द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में भूमि छोड़ने का कथन प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में किये जाने तथा तरतीबी अप्रार्थी सं. 1 से 3 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहे जाने के कारण तरतीबी पक्षकारान के विरूद्ध अनुतोष बन्द किया जाता है। अप्रार्थी सं. 1 से 4 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अनवानी मूल वाद पेश होना स्वीकार है। परन्तु वाद पत्र के सफल होने के कोई आसार व कानूनी आधार नहीं है। जो प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 रिकॉर्ड की हद तक स्वीकार है। खातेदार हरीराम के देहान्त के तथ्य स्वीकार है तथ प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एवं तरतीबी पक्षकारान के हरीराम के विधिक वारिसान होने तक के तथ्य स्वीकार है। परन्तु प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है। क्योकि खातेदार हरीराम ने अपने जीवन काल में ही उक्त भूमि की एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 06.06.2007 को अप्रार्थी संख्या 2 व 4 के पक्ष में बहिस्सा बराबर बराबर करवा दी थी। जो कि अब हरीराम के देहान्त के उपरान्त अन्य वारिसान का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 को दादा हरीराम से उक्त कृषि भूमि जरिये वसीयत प्राप्त है। चूंकि उक्त भूमि में प्रार्थी व तरतीबी पक्षकारान का कोई हक व हिस्सा है ही नहीं तो उक्त भूमि में तरतीबी पक्षकारान का अपना हक व हिस्सा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पक्ष में [illegible] पैदा नहीं होता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा कभी भी [illegible] करने से इन्कार नहीं किया गया है। बल्कि प्रार्थीगण के द्वारा ही बैंक ऋण ऋण अदायगी करनें में बाधित किया जा रहा था। प्रार्थीगण ने कभी कोई पंचायत नहीं की। पंचायत के तथ्य मात्र वाद हेतु प्राप्त करने के आशय से झूठे व मनगढ़त दर्ज किये गये है। अप्रार्थीगण के द्वारा उप–तहसील जैतसर में वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने की कार्यवाही जैरकार है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। अस्थाई स्थगन के लिए आवश्यक तीनों महत्वपूर्ण विन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण के

तहसीलदार अधिकारी श्रीविजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:33:06 IST
Reason: SelfAttested

दादा/ससुर के नाम से उक्त भूमि के अलावा चक 2 जे.एस. डी. तहसील श्री विजयनगर का खाता संख्या 25 प.नं. 135/353 मु.नं. 36 में कुल 5.819 है. में मुश्तरका खाता में 2152/5819 हिस्सा यानि 2.152 है. कमाण्ड मय खाला व चक 62 आर.बी. तहसील रायसिहनगर का खाता संख्या 115 प.नं. 181/258 मु.नं. 15 में 0.935 है. नहरी/बारानी खातेदारी रकबा पड़ता है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त रकबा के सम्बन्ध में अपने प्रार्थना पत्र एवं वाद पत्र में कोई अंकन नहीं किया है। प्रार्थीगण उक्त रकबा में से भी अप्रार्थीगण के पैतृक हिस्सा में आने वाली भूमि के विधिक अधिकारों से महरूम करने की गर्ज से न्यायालय में वास्तविक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है। इस प्रकार प्रार्थीगण न्यायालय से वास्तविक तथ्य छुपाकर यह वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। खातेदार हरीराम के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 के पक्ष में की गई वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन को रोकने के आशय से गलत तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण को उक्त वसीयत दिनांक 06.06.2007 का ज्ञान प्रारम्भ से ही है। चूंकि प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण संख्या 2 व 4 को जरिये वसीयत प्राप्त रकवा से महरूम करना चाहते है इसलिए प्रार्थीगण के द्वारा यह वाद पत्र गलत व झूठे तथ्यों पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वसीयत एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जो उप–पंजीयक श्री विजयनगर के कार्यालय से पंजीवद्ध है। इसलिए उक्त भूमि के सम्बन्ध में वसीयत के प्रभाव में रहते यह वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. वहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण के पति व पिता हरीराम पुत्र पन्नाराम के नाम से दर्ज रिकार्ड है। हरीराम का देहान्त हो चुका है। जिनके प्रार्थीगण, तरतीबी अप्रार्थी सं. 1 से 3 तथा अप्रार्थी सं. 1 से 4 के पति/पिता कुल छ वारिस है। तरतीवी अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित भूमि में से अपने हिस्सा की भूमि प्रार्थीगण के पक्ष में छोड़ रखी है इस प्रकार प्रार्थीगण का विवादित भूमि में 5/6 हिस्सा वनता है। अप्रार्थीगण के द्वारा अन्यत्र निवास किये जाने के कारण समस्त भूमि को प्रार्थीगण के द्वारा ही 20 वर्ष से अधिक समय से काश्त किया जा रहा है जिस कारण प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी होने से वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को भूमि से वेदखल करने तथा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्से की भूमि से वंचित करने पर अमादा है। यदि वे कामयाव हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ता फैंसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित करने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 2 का गलत नाम सलेन्द्र पुत्री हंसराज अंकित किया है जबकि वास्तविक नाम सुरेन्द्र पुत्र हंसराज है। विवादित भूमि के अतिरिक्त हरीराम पुत्र पन्नाराम के नाम से चक 2 जेएसडी खाता सं. 2[illegible] 60 आरबी तहसील रायसिंहनगर में भी भूमि है, वास्तविक तथ्यों को छुपा[illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया है। हरीराम के द्वारा अपने [illegible] भूमि की वसीयत अप्रार्थी सं. 2 व 4 के पक्ष में त[illegible]क से दिनांक 06.06.2007 को पंजीवद्ध करवा दी थी, प्रार्थीगण का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद को रोकने के उद्देश्य से वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है। उप तहसीलदार जैतसर के समक्ष वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की पत्रावली लम्बित है। पंजीबद्ध दस्तावेज को सिविल न्यायालय में ही चुनौति दी जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:33:06 IST
Reason: SelfAttested

बिन्दु प्रार्थीगण के अपेक्षा अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण के द्वारा राजस्व रिकार्ड में हरीराम पुत्र पन्नाराम के नाम से दर्ज भूमि में उनके विरासतन हिस्सा निहित होने तथा भूमि पर उनका कब्जा होने के तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी चक 2 जेएसडी खाता सं. 100 में दर्ज प.नं. 130/354 मु.नं. 46 की कुल 6.198है कमाण्ड/अ.क. मय खाला में हरीराम पुत्र पन्नाराम के नाम से 885/2066 हिस्सा दर्ज है जो यूको बैंक शाखा जैतसर के पक्ष में राहिन है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज छायाप्रति सूचना पत्र क्रमांक 388 दिनांक 20.05.2025 का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वसीयत आधार पर इन्तकाल का प्रकरण उप तहसीलदार जैतसर के समक्ष लम्बित है। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज छयाप्रति वसीयत हरीराम पुत्र पन्नाराम बहक सुरेन्द्र–कुन्दन पि. हसंराज दिनांक 06.06.2007 का अवलोकन किया। उक्त वसीयत दस्तावेज उप पंजीयक श्रीविजयनगर से दिनांक 06.06.2007 को पंजीबद्ध है। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौति दिए जाने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का होना अंकित किया गया है, परन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है न ही पत्रावली कोई आधार उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होना सिद्ध करने में असफल रहे है। विवादित भूमि में अधिकारों विनिश्चय मूल वाद में गुणावगुण पर उभयपक्ष से साक्ष्य प्राप्त कर वाद बिन्दूओं पर होना है परन्तु पंजीबद्ध दस्तावेज वसीयत आधार पर प्रथम दृष्टया भूमि के अधिकार अप्रार्थीगण को अन्तरित हो गये है। ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित है। चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों कारक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण के पक्ष में है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

–: आदेश :–

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17.06.2025 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:33:06 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर